RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-03
Issue-12
December -2018

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com [UGC Listed Journal]

सामाजिक सहभागिता के परिप्रेक्ष्य में महिला ग्राम प्रधानों का दृष्टिकोण : गया जिला ग्राम पंचायत का एक सर्वेक्षणात्मक अध्ययन

मंजू कुमारी

सहायक शिक्षिका, प्राथमिक विद्यालय, उत्तरी सैदपुर, महेन्द्रू पटना।

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 10 December 2018

Keywords
विकासशील, उपसंस्कृति, सहभागिता, संकेन्द्रण

ABSTRACT

व्यक्ति के सामाजिक जीवन को निर्धारित करने में सामाजिक स्थितियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसका सामाजिक पक्ष समाज के साथ अन्तःक्रिया के तरीके को प्रभावित करता है। विकासशील समाजों में जहॉ जाति और रक्त सम्बन्ध सामाजिक सम्बन्धों को प्रभावित करते हैं वहीं जीवन स्तर की भिन्नता तथा विभिन्न समूहों तथा क्षेत्रों की उपसंस्कृति का असर भी प्रभावित होता है। पंचायती राज संस्थाओं के आधुनिक अध्ययनों में शासन के विभिन्न स्तरों यथा– राष्ट्रीय, प्रान्तीय या स्थानीय अध्ययनों में प्रतिनिधियों की आर्थिक पृष्ठभूमि के साथ–साथ सामाजिक पृष्ठभूमि को अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह धारणा है कि इस तरह के अध्ययन के द्वारा शक्ति के संकेन्द्रण का पता लगया जा सकता है। प्रस्तुत अध्ययन में पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत महिला सहभागिता के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण का अध्ययन किया गया है। ग्राम पंचायतों में सहभागी महिलाओं का सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक स्तर से संबंधित जानकारी प्राप्त करना तथा उनका शैक्षणिक स्तर, विभिन्न महत्वाकांक्षा और मूल्यों के स्तर का अवलोकन इस आलेख द्वारा किया गया है।

शोध प्रविधि:

अध्ययन के लिये बिहार के गया जिले के ग्राम पंचायतों को सामग्री बनाया गया है और उसमें से 160 ग्राम पंचायतों के 154 महिला ग्राम प्रधान का चयन किया गया है। प्रतिदर्श द्वारा चयनित महिला ग्राम प्रधानों का अध्ययन किया गया और सूचनाओं का संकलन साक्षात्कार अनुसूची से किया गया है। कुछ प्रतिनिधियों से प्रारम्भिक स्तर पर भेंट कर साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण किया गया है और इस अनुसूची के निर्माण में उत्तरदात्रियों के शैक्षिक स्तर का भी ध्यान रखा गया है। अध्ययन की अवधि सीमित होने तथा तथ्यों की प्राप्ति पूरी तरह सूचनादात्रियों की सूचनाओं पर निर्भर होने के कारण तथ्यों की सम्पूर्ण वास्तविकता का पता लगाना संभव नहीं हो सका है। किन्तु समान अध्ययन क्षेत्र, वस्तुनिष्ठ निदर्शन और वैज्ञानिक अन्वेषण प्रविधियों के आधार पर प्रस्तुत शोध–आलेख से प्राप्त निष्कर्षों में साम्यता देखा जा सकता है।

विश्लेषण:

विश्व के प्रत्येक समाज में परिवार अनिवार्य रूप से पाया जाता है परन्तु विभिन्न संस्कृतियों में इसका आकार एवं प्रकार भिन्न–भिन्न होता है। उदाहरण के लिए एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार। भारतीय समाज में परम्परागत रूप से पाये जाने वाले परिवार को संयुक्त परिवार कहा जाता है। भारत के सामाजिक संरचना में संयुक्त परिवार का विशेष स्थान है। परम्परागत भारतीय संयुक्त परिवार भारतीय संस्कृति के मुख्य केन्द्र जाने जाते हैं। साधारणतया ग्रामीण समाज इन परम्पराओं का पोषक रहा है और वह आसानी से परम्पराओं को छोड़ नहीं देता। प्रस्तुत सारणी में महिला ग्राम प्रधानों के परिवारों के स्वरूप का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

पारिवारिक स्वरूप के प्रति महिला ग्राम प्रधानों का दृष्टिकोण (शैक्षणिक स्थिति एवं आयु के आधार पर)

शैक्षणिक स्थिति	एकाकी परिवार	संयुक्त परिवार	कुल
अशिक्षित	16 (36.35)	28(63.63)	44(27.5)
मिडिल	12(21.42)	44(78.57)	56(35.0)
हाईस्कूल	5(45.55)	6(54.54)	11(6.87)
इण्टर	10(37.03)	17(62.96)	27(16.87)
स्नातक	11(50.0)	11(50.0)	22(13.75)
योग	54(33.75)	106(66.25)	160(100.00)

सारणी के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 160 महिला ग्राम प्रधानों में 44 अशिक्षित हैं। अशिक्षित महिला ग्राम प्रधानों में से 36.35 प्रतिशत महिला ग्राम प्रधानों का परिवार एकाकी है तथा 63.63 प्रतिशत का परिवार संयुक्त है। अध्ययन में सम्मिलित 160 महिला ग्राम प्रधनों में 56 का शैक्षणिक स्तर मिडिल है। इनमें से 12 अर्थात 21.42 प्रतिशत का परिवार एकाकी तथा 54.54 प्रतिशत का परिवार संयुक्त है। संपूर्ण उत्तरदात्रियों में से 33.75 प्रतिशत एकाकी परिवार तथा 66.25 संयुक्त परिवार है।

वैवाहिक स्थिति :

विवाह एक सर्वव्यापी सामाजिक संस्था है। इस सामाजिक संस्था का गठन एक अथवा अधिक पुरूषों तथा एक या अधिक स्त्रियों के आपसी समझौते अथवा सहयोग से होता है। विवाहोपरान्त यौन सम्बन्धों के परिणामस्वरूप सन्तानोत्पत्ति को समाज में वैधता प्राप्त है। विश्व के प्रत्येक मानव समूह में आवश्यक रूप में उपस्थित रहने वाली इस संस्था के नियम एवं रूप तथा प्रकार भिन्न–भिन्न है परन्तु मूलभूत रूप से कुछ सामान्य अनिवार्य तत्व हैं। प्रस्तुत सारणी में महिला ग्राम

RRIJM 2015, All Rights Reserved

प्रधानों के वैवाहिक स्थिति को उजागर करने का प्रयास किया गया है।

वैवाहित स्थिति के प्रति महिला ग्राम प्रधानों का दृष्टिकोण

वैवाहिक स्थिति	संख्या	प्रतिशत
अविवाहित	0	0
विवाहित	160	100.00
विधवा	0	0
योग	160	100.00

सारणी के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मिलित गया जिला ग्राम पंचायत के सभी महिला प्रमुख और पंचायत समिति महिला सदस्य विवाहित हैं।

आवासीय स्थितिः

ग्रामीण क्षेत्र में सामान्यतः कच्चे मकान पाये जाते हैं परन्तु बढ़ती हुई आर्थिक समृद्धि, नगरीकरण का प्रभाव आदि कारणों से ग्रामीणों के आवासीय स्थिति में शौच ,स्नानागार की व्यवस्था, दो मंजिला मकान आदि परिवर्तन गांव में बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। आवासीय परिवर्तन जीवनशैली में होनेवाले परिवर्तनों से आबद्ध होते हैं। अध्ययन में सम्मिलित महिला ग्रम प्रधानों से उनके आवसीय स्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी तथा प्राप्त तथ्यों को सारणीबद्ध किया गया है–

शैक्षणिक स्थिति	कच्चा	पक्का	मिश्रित	योग
अशिक्षित	26(59.09)	10(22.72)	8(18.18)	44(27.5)
मिडिल	10(17.85)	30(53.57)	16(28.57)	56(35)
हाईस्कूल	2(18.18)	5(45.45)	4(36.36)	11(6.87)
इण्टर	6(22.22)	19(70.37)	2(7.40)	27(16.87)
स्नातक	0	15(68.18)	7(31.81)	22(13.75)
योग	44(27.5)	79(49.37)	37(23.12)	160(100.00)

सारणी के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 44 अशिक्षित महिला ग्राम प्रधानों में 59.09 प्रतिशत, 22.72 प्रतिशत तथा 18.18 प्रतिशत का आवास क्रमशः कच्चा, पक्का एवं मिश्रित है। इसी प्रकार मिडिल शैक्षणिक स्तर के 17.85प्रतिशत, 53.57 प्रतिशत तथा 28.57प्रतिशत का आवास क्रमशः कच्चा,पक्का एवं मिश्रित है। जबकि हाईस्कूल स्तर के 18.18 प्रतिशत, 45.45 प्रतिशत तथा 36.36प्रतिशत का आवास क्रमशः कच्चा, पक्का एवं मिश्रित है। इण्टर शैक्षणिक स्थिति वाले 27 ग्राम प्रधानों में से 22.22प्रतिशत, 70.37प्रतिशत तथा 7.04प्रतिशत का आवास क्रमशः कच्चा, पक्का एवं मिश्रित है और स्नातक शैक्षणिक स्तर के 68.18प्रतिशत तथा 31.81 प्रतिशत महिला ग्राम प्रधानों का मकान क्रमशः पक्का एवं मिश्रित है।

आवास का स्वामित्वः

आवास का स्वामित्व किसी महिला के सामाजिक प्रास्थिति को स्पष्ट करने में प्रमुख रूप से सहायक होता है। परम्परागत रूप से ग्रामीण समाज में मकान और खेत संयुक्त परिवार की सम्मिलित सम्पत्ति होती है। वर्तमान अध्ययन में उत्तरदात्रियों से उनके आवास के स्वामित्व को स्पष्ट करने के लिए कहा गया तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नवत सारणीकृत किया गया–

शैक्षणिक स्थिति	पैतृक/स्वयं का	किराये का	योग
अशिक्षित	44(27.75)	–	44(27.5)
मिडिल	56(35.0)	–	56(35.0)
हाईस्कूल	11(6.87)	–	11(6.87)
इण्टर	27(16.87)	–	27(16.87)
स्नातक	22(13.75)	–	22(13.75)
योग	160(100.0)	–	160(100.0)

सारणी के आंकड़ो से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मिलित शत–प्रतिशत महिला ग्राम प्रधानों ने स्पष्ट किया है कि उनका पैतृक अथवा स्वयं का आवास है।

आवास की संख्याः

उत्तरदात्रियों के परिवार के सामाजिक, आर्थिक स्थिति का अध्ययन करते हुए उनसे पूछा गया कि उनके परिवार के पास कुल कितने मकान हैं। प्राप्त सूचनाओ को निम्न प्रकार से सारणीकृत किया गया है।

आवास की संख्या के प्रति महिला ग्राम प्रधानों का दृष्टिकोण (जातिगत आधार पर)

जातिगत स्थिति	एक मकान	दो मकान	तीन मकान	चार मकान	योग
सामान्य जाति	–	–	10(27.77)	26(72.22)	36(22.5)
अन्य पिछड़ा वर्ग	32(43.24)	20(27.2)	12(16.21)	10(13.51)	74(46.25)
अनुसूचित जाति	47(94.0)	2(4.0)	1(2.0)	0	50(31.25)
योग	79(49.37)	22(13.75)	23(14.37)	36(22.5)	160(100.0)

प्राप्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि सामान्य जाति के 27.77प्रतिशत तथा 72.22प्रतिशत महिला ग्राम प्रधानों के पास क्रमशः तीन एवं चार मकान है। अन्य पिछड़ा वर्ग के महिला ग्राम प्रधानों के पास क्रमशः 43.24प्रतिशत, 27.2प्रतिशत, 16.21प्रतिशत तथा 13.51प्रतिशत के पास क्रमशः एक, दो,तीन एवं चार मकान है। अनुसूचित जाति के महिला ग्राम प्रधानों के 94.0 प्रतिशत, 4.0प्रतिशत एवं 2.0प्रतिशत के पास क्रमशः एक मकान, दो मकान एवं तीन मकान है। सारणी के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 49.37प्रतिशत महिला ग्राम प्रधानों को एक मकान, 13.75प्रतिशत को दो मकान, 14.37प्रतिशत को तीन मकान एवं 22.5प्रतिशत को चार मकान है।

आयु, शिक्षा तथां महत्वाकांक्षाः

चयनित महिला ग्राम प्रधानों की आयु, शिक्षा तथा महत्वाकांक्षाओं को जानने का प्रयास किया गया। आयु और महत्वाकांक्षा ऐसे चर हैं जिनसे एक नेता के नेतृत्व का स्वरूप आकार लेता है। पंचायती राज राजनीतिक और सामुदायिक नेतृत्व की प्रथम सीढ़ी है। अतः राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले के लिए यह प्रथम पाठशाला है। दूसरी ओर सामान्य तौर पर ग्रामीण जनता में वरिष्ठता को आदर के साथ देखा जाता है तथा इसे नेतृत्व का एक विशिष्ट गुण समझा जाता है। शिक्षा और अनुभव, जो कि आयु के साथ जुड़ी है, दोनों नेतृत्व को अपने भविष्य की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने का काम करता है।

आयु :

आयु किसी के अनुभव, निर्णय की परिपक्वता आदि कई बातों का प्रतिनिधित्व करती है। चयनित महिला ग्राम प्रधानों के आयु से सम्बन्धित आंकड़े को तीन वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग 30वर्ष से कम आयु के प्रधानों का है।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

दूसरा वर्ग 30 वर्ष से 45 वर्ष के आयु समूह का तथा तीसरा वर्ग 45 वर्ष से उपर के आयु समूह के महिला प्रधानों का है।

ग्राम प्रधान महिलाओं का आयु के आधार पर वर्गीकरण

आयु समूह	संख्या	प्रतिशत
30 वर्ष से कम	90	56.25
30–45 वर्ष	45	28.12
45 वर्ष से अधिक	25	15.62
योग	160	100.0

सारणी यह प्रदर्शित करता है कि चयनित प्रतिदर्श में युवा वर्ग की बहुलता है। आधे से कुछ अधिक महिला ग्राम प्रधान अर्थात 56.25 प्रतिशत 30 वर्ष से कम आयु के हैं जबकि 28.12 प्रतिशत महिला ग्राम प्रधान 30 से 45 वर्ष के आयु समूह से आते हैं। 45 वर्ष से अधिक उम्र के महिला ग्राम प्रधानों का प्रतिशत सिर्फ 15.62 प्रतिशत है। इसी प्रकार चयनित महिला प्रधानों की जातिवार आयु विवरण का भी अवलोकन किया गया और यह पाया गया कि सामान्य वर्ग में 44.44 प्रतिशत महिला प्रधान 30 वर्ष से कम की है तथा पिछड़ा वर्ग में 48.64 प्रतिशत महिला ग्राम प्रधान 30 वर्ष से कम आयु की है। वहीं अनुसूचित जाति वर्ग में यह प्रतिशत 32.0 है। द्वितीय आयु समूह (35–45 वर्ष) में सामान्य वर्ग में 27.77 प्रतिशत, पिछड़े वर्ग में , 28.37प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग में, 28.0 प्रतिशत महिला ग्राम प्रधान आती है।

शिक्षा :

भारत में जनप्रतिनिधित्व के लिए किसी शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान नही है। किन्तु यह कहा जा सकता है कि शिक्षित प्रतिनिधि अपने दायित्वों के निर्वहन में अधिक सफल हो सकते हैं। वह अपने अधिकार एवं कर्त्तव्यों को बेहतर ढंग से जान सकते हैं और जनकल्याण के संबंध में जोरदार तर्क रख सकते हैं। गया जिला में कुल जनसंख्या का 50.45 प्रतिशत जनसंख्या साक्षर है। यहॉ लिंग के आधार पर महिला साक्षरता दर 36.66प्रतिशत है। चयनित ग्राम प्रधानों में निरक्षरों की संख्या 27.5 प्रतिशत है। सर्वाधिक प्रतिशत मिडिल स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने वाली महिल ग्राम प्रधानों की है।

सार्वजनिक जीवन में प्रवेश के उद्देश्य :

इसके अन्तर्गत चयनित महिला ग्राम प्रधानों से यह जानने की अपेक्षा की गयी कि वे किस उद्देश्य से प्रेरित होकर सामाजिक जीवन में आयीं। समाज सेवा करना, नेतृत्व करना, पारिवारिक विरासत सम्भालना, पद व प्रतिष्ठा प्राप्त करना तथा अन्य उद्देश्यों के आधार पर उत्तरदात्रियों से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि लगभग 47.5प्रतिशत महिला ग्राम प्रधानों ने अपने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश का उद्देश्य समाज सेवा करना बतलाया। लगभग 25 प्रतिशत उत्तरदात्री महिला ग्राम प्रधानों ने अपने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश का उद्देश्य नेतृत्व प्रदान करना बतलाया। 18.75 प्रतिशत उत्तरदात्री महिला ग्राम प्रधानों ने माना कि वे ग्राम प्रधान के रूप में अपने पारिवारिक विरासत को सम्भाल रही हैं। 4.37 प्रतिशत ने पद एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करने से जोड़ा तथा 4.37 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने इस संदर्भ में अन्य कारणों की चर्चा की है।

निष्कर्ष –

अध्ययनोपरान्त यह कहा जा सकता है कि पंचायती राज संस्थाओं मे युवा महिलाओं की भागीदारी काफी अधिक है और इन संस्थाओं के द्वारा नये लोग नेतृत्व के क्षेत्र में आ रहे हैं। अधिकांश महिला प्रतिनिधि युवा वर्ग की हैं और अधिक उम्र की महिला ग्राम प्रधानों की संख्या काफी कम है। इन आधारों पर यह कहा जा सकता है कि पंचायती संस्थाओं में अनुभव के स्थान पर नये उर्जावान नेतृत्व को जगह मिल रही है। एक दूसरा कारण यह भी है कि घर की बुजुर्ग महिलाओं में निरक्षरता, पर्दा–प्रथा अपेक्षाकृत अधिक है जबकि नयी पीढ़ी की महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता के कारण स्थानीय स्वशासन के सत्ता प्रतिष्ठानों पर दावेदार के रूप में इनका चयन अधिक प्रभावशाली हुआ है।

संदर्भ श्रोत एवं ग्रन्थः

1. ए,आर, देसाई, रूरल सोशियोलॉजी इन इण्डिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 1969
2. जी. पैरी, पोलिटिकल एलिट्रस, जार्ज एलन एण्ड अविन लि. लन्दन, 1969
3. गुडे एवं हॉट, मेथड्स इन सोशल रिसर्च मैकमिलन, न्यूयार्क, 1989
4. गजट अधिसूचना, पंचायत निर्वाचन 2006, समाहरणालय, गया (पंचायत शाखा) तिथि–4–7–06
5. सिंह, वी.पी. : ग्राम पंचायत में जनसहभागिता, वाराणसी, 1992
6. मेहता, शिव रतन : इमर्जिंग पैटर्न ऑफ रूरल लीडरशिप, न्यू देल्ही, 1972

RRIJM 2015, All Rights Reserved